



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेस 01572-273100

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक:- प.1()परीक्षा / 2020-21 / २१८।

दिनांक: ०५.०३.२०२१

मुख्य परीक्षा, 2021 के लिए ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरवाने संबंधी विज्ञप्ति (स्वयंपाठी एवं नियमित विद्यार्थी)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से संबद्ध झुन्झुनूँ एवं सीकर जिले के स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्व, उत्तराद्व, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एससी. बायोटेक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष (वार्षिक पद्धति) की मुख्य परीक्षा, 2021 के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है:-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	विना विलंब शुल्क	रु. 100/- विलंब शुल्क सहित
1	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./बी.सी.ए./ बी.एससी. बायोटेक पार्ट- I (नियमित विद्यार्थी/पूर्व छात्र)		
2	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. पार्ट- I (स्वयंपाठी परीक्षार्थी)		
3	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./बी.सी.ए./ बी.एससी. बायोटेक पार्ट- II (नियमित विद्यार्थी/पूर्व छात्र)		
4	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. पार्ट- II (स्वयंपाठी परीक्षार्थी)	08.03.2021 से 17.03.2021	18.03.2021 से 22.03.2021
5	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./बी.सी.ए./ बी.एससी. बायोटेक पार्ट- III (नियमित विद्यार्थी/पूर्व छात्र)		
6	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. पार्ट- III (स्वयंपाठी परीक्षार्थी)		
7	स्नातकोत्तर एम.ए./एम.एससी./ एम.कॉम/ पूर्वाद्व, उत्तराद्व (नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र)		

नोट:- दो गुणा परीक्षा शुल्क के साथ दिनांक 23.03.2021 से 25.03.2021 तक उक्त सभी आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जा सकेंगे।

नोट:-

- परीक्षा फार्म भरने की तिथियां आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।
- परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन ई-मित्र/ICICI Payment gateway system के माध्यम से ही होगी।
- परीक्षा फार्म दिशा-निर्देशों का अवलोकन सावधानीपूर्वक करें।
- विश्वविद्यालय परीक्षा, 2020 में परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी पिछली कक्षा के अनुक्रमांक से परीक्षा फार्म भर सकेंगे।
 - निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा फार्म भरेंगे
 - ऐसे सभी परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित हो रहे हैं अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा, 2020 में सम्मिलित नहीं हुए थे।
 - ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय परीक्षा, 2020 में बैठे हैं किन्तु किसी कारणवश रोल नंबर से परीक्षा फार्म ऑपन नहीं हो रहा है।
 - आर.एल./यू.एम. घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है अथवा डाटा अपडेट नहीं हो सका है (परन्तु वे आवेदन हेतु पात्रता रखते हैं)।
 - किसी कारणवश विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित/पूर्व छात्र से स्वयंपाठी श्रेणी परिवर्तित कर परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थी।
- स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जो स्वयंपाठी परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय का चयन करें। उन्हे निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित शुल्क शीघ्र जमा करवावें। तत्पश्चात प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालय में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी जानकारी के लिए टोल फ़ी फ्री हेल्पलाईन 9649044143 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश, परीक्षा फीस या विवरण एवं नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु महाविद्यालयों की सूची आदि की सूचना वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैं—

(2)

1. प्राचार्य संबद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि:—

- वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म सही हैं एवं दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
- संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फार्म निम्न तिथियों पर विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करायेंगे—

- स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर के समस्त आवेदन पत्र—

सीकर— 30.03.2021


झुन्झुनू— 02.04.2021

- विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फॉर्म भरवाये गये हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा-फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह संबंधित प्राचार्य सुनिश्चित कर लें।
- केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फॉर्म अग्रेषण का शुल्क रूपये 8/- (नवीन दरें) प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालयों को देय होगा।
- संबंधित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे— परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पात्रता परीक्षा संबंधी सभी सूचनाएं आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हे परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करें। ई-मित्र / ICICI Payment gateway system के द्वारा देय रसीद की फोटो प्रति के पीछे जमा कर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रहे तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाओं की छायाप्रति आदि संलग्न हो। स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश लेने वाले ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने स्नातक अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हैं, उनके आवेदन पत्र के साथ प्रवर्जन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।

- वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा-2021 हेतु ई-मित्र / ICICI Payment Gateway System द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि जमा विवरण प्राप्त कर मिलान करने का भी श्रम करावें।
- निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान

पत्रिका व दैनिक भास्कर आदि) में एक बार प्रकाशित करवावें एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

5. सचिव, सूचना प्रोटोग्राफी विभाग, जयपुर।
6. समस्त अनुभागाधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।



(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक:- प.1()परीक्षा / 2020-21 / २१७२

दिनांक: ०५.०३.२०२१

मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरवाने संबंधी महाविद्यालय एवं परीक्षार्थियों को दिशा-निर्देश

सामान्य दिशा निर्देशः-

1. नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र/के माध्यम से जमा होगा, परीक्षा शुल्क जमा कराने का अतिरिक्त निर्धारित शुल्क रूपये 6/- प्रति परीक्षार्थी द्वारा ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क को अदा करना होगा। परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
 - a. छात्र सर्वप्रथम वेबसाईट www.shekhauni.ac.in पर विजिट कर अपनी कक्षा से संबंधित पंजीकरण करवाकर ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
 - b. निर्धारित शुल्क के चालान का प्रिन्ट लेकर ई-मित्र या ICICI Payment gateway से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी शुल्क जमा करवाया जा सकता है। पुनः वेबसाईट www.shekhauni.ac.in पर लॉगईन कर चालान नंबर और टोकन नंबर अंकित कर अपनी परीक्षा फार्म की दो प्रतियां प्रिन्ट करें।
 - c. परीक्षार्थी कैशलेश पद्धति से/ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क/ICICI Payment gateway system पर परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं।
 - d. परीक्षा आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएँ सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
 - e. ई-मित्र पर एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा और ई-मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होगा। संबंधित ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क भी यह सुनिश्चित कर लें।
 - f. आवेदनकर्ता अपना परीक्षा फार्म ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क/ICICI Payment gateway system के माध्यम से भी ऑनलाईन भरवा सकते हैं। इसके लिए संबंधित कियोस्क को उनका निर्धारित शुल्क रूपये 20/- प्रति परीक्षा फार्म एवं वेब कैमरा से फोटो अपलोड करने का निर्धारित शुल्क रु. 5/- प्रति परीक्षार्थी अलग से देना होगा।
 - g. परीक्षार्थियों द्वारा ई-मित्र/ICICI Payment gateway system के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम (नकद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
2. विश्वविद्यालय परीक्षा-2020 में प्रविष्ट हो चुके छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र पिछली कक्षा के रोल नंबर से ही भरे जा सकेंगे।
3. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी. पूर्वार्द्ध, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य कक्षाओं हेतु फेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। परीक्षार्थी अपना, माता पिता का नाम माध्यमिक परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुरूप ही भरें।
4. ऐसे परीक्षार्थी फेश परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे जो:
 - a. ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा- 2020 में बैठे हैं परन्तु
 - i. किसी कारणवश रोल नम्बर से परीक्षा आवेदन पत्र Open नहीं हो रहा है।

२०२१

- i. किसी कारणवश रोल नम्बर से परीक्षा आवेदन पत्र Open नहीं हो रहा है।
 - ii. B.A./B.Sc.R.L./U.M. घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि डाटा अपडेट नहीं होने के कारण अभी तक घोषित नहीं हुआ है।
 - iii. नियमानुसार महाविद्यालय परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नियमित परीक्षार्थी।
 - iv. ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हुये थे।
- b. B.A./B.Sc. Additional के सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे। परीक्षार्थी एक ऐसे एडिशनल विषय का चयन करेंगे जिसका अध्ययन उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
5. परीक्षा फार्म जमा करवाने की व्यवस्था निम्न प्रकार है:-
- a. नियमित परीक्षार्थी:-
- i. दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर तथा ई-मित्र/ ICICI Payment gateway system पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की तिथि से अगले तीन कार्यदिवस तक उन महाविद्यालयों में जमा करायेंगे जिनमें उनका नियमित प्रवेश है।
 - ii. संबंधित महाविद्यालय परीक्षार्थियों के फार्म की जांच कर उनके परीक्षा फार्म पर अंकित फार्म नंबर से उन्हे वेबसाईट www.shekhauni.ac.in पर अपने लॉगिन आईडी (कॉलेज कोड) एवं पासवर्ड से विजिट कर वेरीफाई बटन दबाकर दर्ज करेंगे। कक्षा एवं संकायवार परीक्षार्थियों की सूची का दो प्रतियों में प्रिंट लेकर परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के सूची के क्रमानुसार संलग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
 - iii. महाविद्यालय परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को प्रेषित करने से पूर्व परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा फार्म में अंकित किये गये विषयों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय द्वारा छात्र को आवंटित विषय में ही फार्म भरे गये हैं। इस संबंध में किसी भी त्रुटि के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करेंगे।
- b. स्वयंपाठी परीक्षार्थी:-
- i. स्वयंपाठी परीक्षार्थी ई-मित्र/ ICICI Payment gateway system पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की तिथि से अगले तीन कार्यदिवस में परीक्षा आवेदन पत्र पर अंकित महाविद्यालय में जमा करावें। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित महाविद्यालयों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है।
 - ii. संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्राप्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म की जांच कर उनके परीक्षा फार्म पर अंकित फार्म नंबर से उन्हे वेबसाईट www.shekhauni.ac.in पर अपने लॉगिन आईडी (कॉलेज कोड) एवं पासवर्ड से विजिट कर वेरीफाई बटन दबाकर दर्ज करेंगे। कक्षा एवं संकायवार परीक्षार्थियों की सूची का दो प्रतियों में प्रिंट लेकर परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के सूची के क्रमानुसार संलग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
 - iii. यदि स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रेक्टिकल विषय लिये हैं तो उन्हे नियमानुसार प्रेक्टिकल ट्रेनिंग करना आवश्यक है। प्रशिक्षण नहीं लेने वाले छात्रों को परीक्षा, 2021 की प्रायोगिक परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

- c. महाविद्यालय द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर विश्वविद्यालय में अग्रणीत करने की प्रक्रिया:
 संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्रों को कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय लॉगिन आई.डी. से वेरिफाई करके विश्वविद्यालय में जमा करवायेंगे।
- नवीन संबद्धता प्राप्त अथवा जिन महाविद्यालयों को गत वर्ष लॉगिन आई.डी./पासवर्ड आवंटित नहीं हुआ है ऐसे महाविद्यालय उनको आवंटित महाविद्यालय कोड से वेबसाईट www.shekhauni.ac.in के कॉलेज पोर्टल पर अपना ई—मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर का रजिस्ट्रेशन करवायेंगे। तत्पश्चात् उन्हे महाविद्यालय लॉगिन आई.डी. एवं वन टाईम पासवर्ड पंजीकृत मोबाईल/ई—मेल आई.डी. पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय अपना नया पासवर्ड बदलने के ऑप्सन पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बदल सकेंगे।
 - ऑनलाईन गेटवे/ई—मित्र/ICICI Payment gateway system के माध्यम से जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी को कक्षा एवं श्रेणीवार उसी वेबसाईट के कॉलेज पोर्टल पर प्रत्येक छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र को वेरिफाई करें। संबंधित कक्षा के सभी परीक्षा आवेदन पत्रों को वेरिफाई करने के पश्चात् प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर Nominal Roll का प्रिन्ट लें। तत्पश्चात् Nominal Roll लिस्ट के क्रमानुसार ही संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्रों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय में जमा करवायें।

नोट:- उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायेंगे, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं उनके परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवा सकेंगे। संबंधित राजकीय महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में जमा करावें।
- परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्म पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
- स्नातक पार्ट—प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पी.जी. पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध के लिए आवेदन (UG Part I, II, III and PG Previous, Final) :— स्नातक पार्ट—प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पी.जी. पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध तथा अन्य कक्षाओं हेतु फेश परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन—पत्र के निर्धारित स्थान पर करने के पश्चात् प्रिंट बटन पर विलक्षण करके दो प्रति में परीक्षा आवेदन—पत्र को प्रिंट करें।
- संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
- परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे— नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नंबर, इत्यादि में बाद में संशोधन करवाने पर रु. 200/- प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।

11. :-

- a. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाइन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
- b. राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करें। संबंधित महाविद्यालय/संग्रहण केन्द्र दस्तावेजों की सम्पूर्ण जॉच करके परीक्षार्थी को मूल दस्तावेज सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे।
- c. जिन परीक्षार्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा अब स्नातकोत्तर पूर्वद्वंद्व नियमित एवं स्वयंपाठी के लिए परीक्षा आवेदन कर रहे हैं, वे अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन) परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा करवायें। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाने की स्थिति में दिनांक 05.04.2021 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।
12. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधित सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
13. फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिका के अनुसार भरें।
14. विश्वविद्यालय अधिनियम 176 के अनुसार उन्हीं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिला—सीकर एवं झुन्झुनूं में ढाई वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हो। यह प्रमाण-पत्र उन्हीं परीक्षार्थियों को देना है जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन प्रथम बार होना है।
15. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें संबंधित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण—पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
16. अन्य (नियमानुसार समकक्षता/मान्यता प्राप्त) विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय से स्नातक पार्ट—प्रथम उत्तीर्ण छात्र यदि इस विश्वविद्यालय से पार्ट—द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो:
- a. ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनका चयन पार्ट—प्रथम में किया था। परन्तु अनिवार्य विषयों (सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग) में से जो विषय पूर्व विश्वविद्यालय में संचालित नहीं थे, उन अनिवार्य विषयों की परीक्षा पार्ट—द्वितीय के साथ देना अनिवार्य होगा।
 - b. ऐसे छात्रों की डिवीजन का निर्धारण पार्ट—द्वितीय एवं तृतीय में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उन्हें दो वर्षीय उपाधि प्रदान की जावेगी।
17. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह—विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
18. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
19. बी.ए./बी.एससी. एडिशनल परीक्षा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अथवा अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा

में समिलित हो सकेंगे जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हे B.A./B.Sc. Additional के पार्ट-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे।

20. स्नातक कक्षाओं (नियमित/स्वयंपाठी) में श्रेणी/अंक सुधार हेतु पार्ट-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में समिलित हो सकेंगे। परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा भी पुनः देनी होगी।
21. स्नातक कक्षाओं (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जायेंगे।
22. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार नॉन कॉर्मस परीक्षार्थियों को बी.कॉम पार्ट- प्रथम में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में समिलित होना अनिवार्य होगा। एम.ए./एम.एससी. भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं।
- नोट: बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी. गणित के लिए आवेदन पत्र नहीं भरें।
23. स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) कक्षाओं में अंक/श्रेणी सुधार के संबंध में
 - a. अधिनियम 169-ई (i) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध परीक्षा-2020 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा में समिलित होना चाहते हैं उन्हे (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र सहित) सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षा देनी होगी।
 - b. अधिनियम 169-ई (ii) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध परीक्षा-2020 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्नपत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।
 - c. अधिनियम 169-डी के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के सभी विषयों (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषयों में परीक्षा में समिलित हो सकते हैं।
24. विश्वविद्यालय अधिनियम 168-ए के अनुसार विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष में आयोजित होने वाली दो मुख्य परीक्षा में समिलित नहीं हो सकता।
25. विश्वविद्यालय अधिनियम 193-सी के अनुसार परीक्षार्थी किसी बकाया विषय को एक से अधिक बार में उत्तीर्ण करता है तो स्नातक पार्ट-3 में श्रेणी निर्धारण हेतु उस बकाया विषय के न्यूनतम अंक जोड़े जायेंगे।
26. स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं है। हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परसियन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।
27. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी:-
टैक्सटाईल क्राफ्ट, इच्येस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल ड्रॉइंग एण्ड पेटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाईजेशन, रूरल ड्वलपमेन्ट, ड्रॉइंग एण्ड पेटिंग, सिंधी, फैंच, जर्मन, रशियन, फिजिकल एजुकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्प्युनिकेशन (अधिनियम-175)।
28. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों की सूची एवं स्वयंपाठी परीक्षा केन्द्रों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराई जायेगी।

28. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों की सूची एवं स्वयंपाठी परीक्षा केन्द्रों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराई जायेगी।
29. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन—पत्र भरने संबंधी समस्त जानकारियां जैसे दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं महाविद्यालयों संबंधी सूचना वेबसाईट www.shekhauni.ac.in पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी पूर्ण रूपेण सही भरे हुये परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में परीक्षा फीस की रसीद सहित, अंतिम तिथि से अगले तीन कार्य दिवस में संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप में जमा करायें। ऐसे छात्र जो ई-मित्र / ICICI Payment gateway system के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में समिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। शुल्क जमा कराने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
30. विश्वविद्यालय परीक्षा, 2021 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है—
31. कोविड-19 पैन्डेमिक को ध्यान में रखते हुये विद्यार्थी हित में परीक्षा शुल्क में 20% कटौति की गई है एवं निमांकित शुल्क की दरें कटौति के बाद ही अंकित की गई है। यह विशेष स्थिति केवल विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 के लिये ही लागू होगी।

I. FEE PAYABLE FOR UG COURSES EXAM. 2020-21


S. No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate
1.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-I (If already enrolled)	970/-	1070/-	1550/-
2.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-I (If already enrolled)	1340/-	1460/-	--
3.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-I (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 290+290= 580/-)	1550/-	--	2130
4.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-I (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 290+290= 580/-)	1920/-	--	--
5.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-II	970/-	1070/-	1550/-
6.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-II	1340/-	2000/-	--
7.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-II (with due paper of Pt.-I)	1410/-	1510/-	1990/-
8.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-II (with due paper of Pt.-I)	1780/-	1900/-	--
9.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-III	1340/-	1460/-	2030/-
10.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-III	1540/-	1670/-	
11.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-III (with due paper of Pt.-I OR Pt.-II)	1780/-	1900/-	2470/-
12.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-III (with due paper of Pt.-I OR Pt.-II)	1980/-	2110/-	--
13.	B.A./B.Sc./B.Com. Pt-III (with due paper of Pt.-I And Pt.-II)	2220/-	2340/-	2910/-
14.	B.C.A./B.B.A./B.Sc.(Bio-Tech.) Pt-III (with due paper of Pt.-I And Pt.-II)	2420	2550	--
15.	B.A./B.SC Additional	-	1460	2030
16.	Fees for Physically challenged Students (for above all categories) (If already enrolled)	500	600	1100
17.	Fees for Physically challenged Students (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 290+290= 580/-)	1080	1180	1680

II. FEE PAYABLE FOR PG COURSES EXAM. 2020-21

S. No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate
1.	M.A./M.Sc./M.Com.(Prev.) (If already enrolled)	1230/-	1320/-	1850/-
2.	M.A./M.Sc./M.Com.(Prev.) (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 290+290= 580/-)	1810/-	-	2430/-
3.	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) Ord. 169/E-(1)/0.215/0.238/0.250	1500/-	1580/-	2380/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final) (With due papers of Prev./Ord. 169-E(11))	1940/-	2020/-	2560/-
5.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 169-D)	-	2550/-	3040/-
6.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	-	-	3120/-
7.	Fees for Physically challenged Students (for above all categories) (If already enrolled)	500/-	600/-	1000/-
8.	Fees for Physically challenged Students (If not enrolled) (Enrollment & Eligibility Fees 290+290= 580/-)	1080	1180	1580

नोट:-

- i. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क में छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि मेडिकल ऑफिसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
- ii. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावें।



(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक
दिनांक: 05-03-2021

क्रमांक:- प.1()परीक्षा/2020-21/2172

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कुलपति सचिवालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
6. निजी सचिव, परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. समस्त अनुभागाधिकारी।
8. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।



(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक